The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2019

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS (SHRI JUAL ORAM): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of the Scheduled Tribes in the State of Karnataka.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI JUAL ORAM: Sir, I introduce the Bill.

The Constitution (One Hundred And Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will now take up The Constitution (One Hundred and Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019. Shri Thaawarchand Gehlot to move a motion for consideration of the Constitution (One Hundred and Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019. ...(Interruptions)...

SHRIMATI KANIMOZHI (Tamil Nadu): Sir, I want it to be sent to a Select Committee. Sir, it is a Constitutional Amendment Bill. ...(Interruptions)...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत): उपसभापित महोदय ...(व्यवधान)... महोदय, मैं प्रस्ताव करता हं:

कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (Gujarat): Sir, I have a point of order. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is one Amendment by Shrimati Kanimozhi for reference of the Constitution (One Hundred and Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019 to a Select Committee of the Rajya Sabha. The Member may move her Amendment without any speech.

Amendment for reference of the Bill to Select Committee of the Rajya Sabha

SHRIMATI KANIMOZHI (Tamil Nadu): Sir, I move......(Interruptions)...

"That the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

- 1. Shrimati Kanimozhi
- 2. Shri D. Kupendra Reddy

- 3. Shri T. K. Rangarajan
- 4. Shri D. Raja
- 5. Shri Y. S. Chowdary
- 6. Prof. Manoj Kumar Jha

With instructions to report by the last day of the first week of the next Session."

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (Gujarat): Sir, I have a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The motion for the consideration of the Constitution (One Hundred and Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019, as passed by Lok Sabha, and the Amendment moved thereto are now taken up for discussion. ...(Interruptions)...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, I have a point of order. ...(Interruptions)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Sir, I have a point of order. ...(Interruptions)...

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, we want it to be sent to a Select Committee. ...(Interruptions)...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत): उपसभापित महोदय ...(व्यवधान)...

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Sir, I have a point of order. ...(Interruptions)... Sir, I have a point of order. ...(Interruptions)...

श्री थावर चन्द गहलोत: उपसभापित महोदय, मैं एक ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ...(व्यवधान)... इस विधेयक को कल लोक सभा ने भारी बहुमत से पारित किया है। ...(व्यवधान)... इस बिल को पारित करने की महती आवश्यकता है। ...(व्यवधान)... आप और हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत के संविधान में जो वर्तमान व्यवस्था है, वह आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं करती है। ...(व्यवधान)... इस कारण से सामान्य वर्ग के बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के लोगों को सरकार की सेवाओं का और अन्यान्य प्रकार की सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ...(व्यवधान)... सारे देश में लम्बे समय से सामान्य वर्ग के लोगों द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा और संसद के दोनों सदनों द्वारा अनेक माननीय सांसदों ने प्राइवेट मेम्बर्स विधेयक और क्वेश्चंस के माध्यम से इस आशय का बिल पास कराने के लिए कहा। ...(व्यवधान)... निवेदन किया। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will allow you after his speech, Shri Kalita. ...(*Interruptions*)...

श्री थावर चन्द गहलोत: इसके साथ में कहना चाहता हूं कि यह बिल आर्थिक आधार पर आरक्षण देने हेतु संविधान में उचित प्रावधान करने के लिए लाया गया है। ...(व्यवधान)... यह विधेयक सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए लाया गया है। इससे शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान हो जाएगा। ...(व्यवधान)... यह विधेयक अच्छे इरादे और अच्छी नीयत से लाया गया है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आनन्द शर्मा जी ...(व्यवधान)... कृपया आप लोग अपनी सीटों पर जाएं, मैं आपको समय दूंगा।...(व्यवधान)... प्लीज़।

श्री थावर चन्द गहलोत: यह आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 15 में ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप एक मिनट दीजिए। माननीय कालिता साहब point of order के तहत कुछ कहना चाहते हैं। ...(व्यवधान)... श्री भुवनेश्वर कालिता। ...(व्यवधान)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Sir, this morning you have said. ...(Interruptions)... The hon. Members raised about the situation in the North-East. It is burning. ...(Interruptions)... There is nobody to answer to that. ...(Interruptions)... The entire North-East is burning on the Citizenship (Amendment) Bill. ...(Interruptions)... Sir, we demand that the hon. Home Minister should come and make a statement. ...(Interruptions)... The hon. Home Minister should come and make a statement. ...(Interruptions)... Beyond that, we have many other objections on this Bill. ...(Interruptions)... So, we demand that the hon. Home Minister must come before the House and make a statement. ...(Interruptions)... Sir, please, call the hon. Home Minister to make a statement in the House. ...(Interruptions)...

श्री उपसभापति: श्री विजय गोयल, मंत्री जी, असम के बारे में point of order है, आप कुछ कहना चाहते हैं? ...(व्यवधान)... आप कृपया सुनिए, मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। ...(व्यवधान)... में माननीय मंत्री जी से कहता हूं, ...(व्यवधान)... वे आपको जवाब देंगे। ...(व्यवधान)... आप अपने सदस्यों को कृपया बिठाइए। ...(व्यवधान)...

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): महोदय, इस सदन में कांग्रेस के माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, ...(व्यवधान)... मैं सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं कि North East में, जिस सुरक्षा की बात ये उठा रहे हैं, उस पर माननीय गृह मंत्री जी 2.00 बजे आपके सामने आकर बयान दे सकते हैं। ...(व्यवधान)... गृह मंत्री जी 2.00 बजे बयान दे सकते हैं, इसलिए आप कृपया अपनी सीटों पर जाइए। ...(व्यवधान)... सदन के सामने इतना महत्वपूर्ण बिल है, उस पर चर्चा आरम्भ होने दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री थावर चन्द गहलोत: माननीय उपसभापति महोदय, जैसा मैंने बताया, ...(व्यवधान)... यह बिल

देश के सामान्य वर्गों के गरीब लोगों के शैक्षणिक, उन्हें रोज़गार देने तथा उनके सशक्तीकरण हेत् संविधान में संशोधन करने के लिए लाया गया है। ...(व्यवधान)... इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हं कि भारत के संविधान के आर्टिकल 15 में एक सब-आर्टिकल (6) जोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 16 में भी एक अतिरिक्त ...(व्यवधान)... एक सब-आर्टिकल (6) जोड़ा जा रहा है। ...(व्यवधान)... वर्तमान में जो प्रावधान है, उसकी जानकारी मैं आपके सामने पढ़कर बताना चाहता हूं। ...(व्यवधान)... उपसभापति महोदय, संविधान के अनुच्छेद १५ में खंड (५) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:- (6) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (छ) या अनुच्छेद २९ के खंड (२) की कोई बात, राज्य को — (क) खंड (४) और खंड (५) में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नित के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी; और (ख) खंड (4) और खंड (5) में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहां निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे उपबंध, ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में, ...(व्यवधान)... जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी है, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली है या सहायता न पाने वाली हैं, ...(व्यवधान)... प्रवेश से संबंधित है, जो आरक्षण की दिशा में विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में कृष्ठ स्थानों के अधिकतम दस प्रतिशत के अध्यधीन होगा। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मैं आग्रह करता हूं कि अपनी-अपनी जगह पर जाएं और यह बहस होने दें। ...(व्यवधान)... यह महत्वपूर्ण बिल है ...(व्यवधान)... पूरा देश देख रहा है। ...(व्यवधान)... प्लीज़, प्लीज़ ...(व्यवधान)... I am telling you, please get back to your seats. ...(Interruptions)... सिवाय मंत्री जी के भाषण के कोई चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...(व्यवधान)...

श्री थावर चन्द गहलोत: उपसभापित महोदय, इस संबंध में एक स्पष्टीकरण दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन के लिए है। ...(व्यवधान)... इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए "आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग" वे होंगे, जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक अलाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं। ...(व्यवधान)...

महोदय, इसी प्रकार से आर्टिकल 16 में जो संविधान किए जा रहे हैं, वे इस प्रकार हैं। ...(व्यवधान)... संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड (5) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, ...(व्यवधान)... अर्थात्:- (6) इस अनुच्छेद की कोई बात, राज्य को खंड (4) में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के विद्यमान आरक्षण के अतिरक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम दस प्रतिशत के अध्यधीन, आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।" ...(व्यवधान)...

उपसभापित महोदय, यह संशोधन होने के बाद, भारत सरकार और राज्य की सरकारों को आर्थिक आधार पर कमजोर वर्गों के लोगों को शैक्षणिक संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण और सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान करने के अधिकार होंगे। ...(व्यवधान)... आज के इस संशोधन से पहले भारत के संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण अभी तक इस

[श्री थावर चन्द गहलोत]

वर्ग के लोगों को लाभ नहीं मिल पाता था। ...(व्यवधान)... लंबे समय से यह मांग की जा रही थी। ...(व्यवधान)... नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ...(व्यवधान)... आज मैं सदन के सामने यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूं। ...(व्यवधान)... हमको मालूम है कि इसके पहले भी कई सरकारों ने समय-समय पर आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि करने का निर्णय लिया था, लेकिन उसे उच्चतम न्यायालय ने अस्वीकार किया था। ...(व्यवधान)... उसे अस्वीकार करने का प्रमुख कारण यह था कि भारत के संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था। ...(व्यवधान)... इस कारण से जो 50 परसेंट की सीलिंग लगी थी। ...(व्यवधान)...

श्री मधुसूदन मिस्त्री: सर, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मिस्त्री जी, किसी Point of Order पर हैं। ...(व्यवधान)... प्लीज़, ...(व्यवधान)... सभी लोग बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)... आप अनुशासन में रहेंगे, तभी मैं सुन सकता हूं। ...(व्यवधान)... प्लीज़, प्लीज़ ...(व्यवधान)...

श्री मधुसूदन मिस्त्री: सर, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के लिए मैं कब से चिल्ला रहा हूं। ...(व्यवधान)... बिल के Introduction के बारे में मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। ...(व्यवधान)... I will appeal you to listen to my point of order. ...(Interruptions)...

श्री उपसभापति: आप अपना प्वाइंट ऑफ ऑर्डर बोलें ...(व्यवधान)... आप बोलें। ...(व्यवधान)... आप अपना प्वाइंट ऑफ ऑर्डर कहें। ...(व्यवधान)... आप अपना प्वाइंट ऑफ ऑर्डर रखें। ...(व्यवधान)...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, I draw your attention to this Bill, which has come as a Supplementary Business today only, I mean, this afternoon. I have a few points to make. Number one, it is against the rules because after the introduction, it needs two days for taking up for a discussion. Number two, this Bill is not complete because every Bill must have Statement of Objects and also the Financial Statement. This Bill does not have anything of that sort. Number three, you cannot have, on the same day, introduction as well as voting. Number four, even if the Chairman has the power to waive it, they will have to give you in writing the reason for that. The House has a right to know what the reasons are and what the urgency is for introducing and passing this Bill on the same day. I want your ruling on this, Sir. This House has a right to know what kind of a statement has been given to you to see to it that this has to be introduced today, that this has also to be passed today, that voting has to be done today, waiving the two days' provision and also for not incorporating the Statement of Objects. The Bill is not complete. The Bill requires this and it is mandatory under Rule 61. That is all I have to say on my point of order. I want your ruling on that, Sir.

श्री उपसभापति: इस बिल के बारे में ...(व्यवधान)...

Government

SHRI RIPUN BORA (Assam): Sir, I have another point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; please sit down.

श्री विजय गोयल: सर, मैं समझता हूं कि इस The Constitution (One Hundred and Twenty-Fourth Amendment) Bill को लेकर आज विपक्षी दलों के साथ जो बैठक हुई और लोक सभा के अंदर भी जो सारी कार्यवाही हुई, जिसमें सरकार 10 प्रतिशत आरक्षण आर्थिक आधार पर दे रही है, उसके बाद यह सहमति बनी कि इसके ऊपर आठ घंटे चर्चा होगी। अब मैं नहीं समझता हूं कि जब चेयरमैन को किसी भी चीज़ को waive करने, सदन को चलाने के लिए यह अधिकार है, तब विपक्षी पार्टियों और खास तौर से कांग्रेस इस तरह के टेक्नीकल इश्यूज़ को उठाकर इस बिल को रोकने की कोशिश करे। ...(व्यवधान)...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: No, no. ...(Interruptions)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, ...(Interruptions)...

श्री विजय गोयल: मुझे पूरा करने दीजिए। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please listen to him. ...(Interruptions)...

श्री विजय गोयल: जबिक लोक सभा के अंदर स्वयं प्रधान मंत्री मोदी ने सभी सांसदों का इस बात के लिए धन्यवाद किया है कि उन्होंने इस बिल को पारित किया है। ...(व्यवधान)... क्योंकि यह बहुत समय से लम्बित था, इसके ऊपर कार्यवाही होनी है। ...(व्यवधान)... मेरा यह कहना है कि तकनीकी तौर पर इश्यूज़ उठाकर, सदन का समय खराब करके अगर आप अप्रत्यक्ष रूप से इसका विरोध कर रहे हैं, तो बात अलग है, वरना इसके ऊपर चर्चा शुरू कीजिए। ...(व्यवधान)... बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है और सरकार इस पर बहस करना चाहती है। ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: उपसभापित महोदय, मैं अपने दल की तरफ से एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, जो यह संविधान संशोधन है — मंत्री महोदय, आपने यह कहकर न्याय नहीं किया कि कांग्रसे विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी पक्ष में है, पर मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, एक बार व्यवस्था का प्रश्न उठा है, दो-तीन बातें मुख्य रूप से सामने आई हैं, इसलिए सदन में चाहे कोई भी सदस्य हो, हर सदस्य का यह अधिकार है कि वह सभापित से व्यवस्था का प्रश्न उठाए, point of order उठाए और सभापित उस पर अपनी रूलिंग दें। अगर आपने waiver दिया है, तो सदन को सूचित करें। क्या-क्या कारण हैं और ऐसी कैसी आपात स्थित थी, केवल वह आप उसमें बता दें।

दूसरा, नियम यह भी कहते हैं कि चूंकि यह अभी Supplementary Agenda में लाया गया है, इसमें BAC ने कोई time allocation नहीं किया, तो आपको यह घोषणा करनी पड़ेगी कि संविधान संशोधन पर कितने घंटे चर्चा होगी। यह नियम के तहत जरूरी है। आपको पीठ से यह घोषणा करनी

[श्री आनन्द शर्मा]

पड़ेगी। Once you announce this, there will be clarity. Now, the other thing is, about the need of justification, मंत्री महोदय ने दिया है। हम एक चीज़ कहेंगे। यह रिपोर्ट पहले भी थी, तो कृपा करके देश को, सदन को, हमको सही सूचना देनी है, गुमराह नहीं करना है। पौने पांच साल के बाद जो आपकी नींद टूटी है, तो इसलिए श्रेय मत लें। इस पर राजनीति है, चुनाव है, हम भी समझते हैं, आप भी जानते हैं। यहां बालक तो नहीं बैठे! सब लोक राजनीति करते हैं, आप यह राजनीति कर रहे हैं, पर हमें दोष मत दें, आरोप मत लगाएं। ...(व्यवधान)... यह वोट के लिए है। ...(व्यवधान)... यहां कोई बालक नहीं है। ...(व्यवधान)... किसी को नहीं मिलेगा, ...(व्यवधान)... 800 वर्ष नहीं मिलेगा। ...(व्यवधान)... वह तो आपने 2 करोड़ रोज़गार एक साल में ...(व्यवधान)... 10 करोड़ पैदा कर दिए! ...(व्यवधान)... पिछले साल 1 करोड़ 10 लाख रोज़गार टूटे। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आनन्द जी, कृपया बैठें। ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: आप सदन को गुमराह न करें। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आनन्द जी ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्माः सर, पहले इनका प्वाइंट ऑफ ऑर्डर डिस्पोज़ ऑफ करें। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मैंने वह सुन लिया है, मैं बताता हूं। I will come back. ...(Interruptions)... I will come back. ...(Interruptions)... You have completed, Mr. Mistry. ...(Interruptions)... No, you have completed your point of order. ...(Interruptions)... Now Mr. Raja. ...(Interruptions)...

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, legislation of this nature will have serious implications on our society, and when Parliament makes law, Parliament should do it properly. This Bill has to go through certain procedure. It has not gone to Standing Committee and now when it comes to Rajya Sabha, there is a genuine demand that it should go to Select Committee. At the introduction stage, the Chair has announced, a Motion is there and that Motion has been moved. What happened to that Motion? First let us discuss that Motion. Whether the House decides to send it to Select Committee or not, that should be decided first. ...(Interruptions)... Then we will discuss others. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Kanimozhi. ...(Interruptions)...

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, you allowed me to move the Motion. So, let us discuss on that and let us take a decision. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It will be discussed later. ... (Interruptions)...

SHRIMATI KANIMOZHI: No, Sir. ...(Interruptions)... Sir, let us ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We have got your notice. I have already announced it. Now let me give the ruling. ...(Interruptions)...

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, can I just finish? ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. ...(Interruptions)... I have said it. ...(Interruptions)... No. ...(Interruptions)... Hon. Chairman has given waiver under Rule 123 for consideration of the Bill at a short notice on receiving a request from the Minister. In today's morning meeting, it was agreed upon to allocate three hours for discussion ...(Interruptions)... again on the consideration of the Constitution Amendment Bill. ...(Interruptions)...

SHRI ANAND SHARMA: Who agreed? ...(Interruptions)...

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, I want a decision on it now. ...(Interruptions)... I want a decision on it now. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We agree to increase the time as per the decision. ...(Interruptions)...

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, I want a decision now. ...(Interruptions)... I want a decision now. ...(Interruptions)...

SHRI T. K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, I have a point of order. ...(Interruptions)...

श्री विजय गोयल: मैं स्पष्ट कर देता हूं। ...(व्यवधान)... पहले जब विपक्षी दल के सदस्य नहीं आए थे, उस समय तीन घण्टे का समय तय था। ...(व्यवधान)... जब सारे विपक्षी दल आ गए तो मिलकर यह तय किया गया कि इसके ऊपर 8 घण्टे बहस होगी। ...(व्यवधान)...

SHRI T. K. RANGARAJAN: Sir, I have a point of order. ... (*Interruptions*)... I have a point of order. ... (*Interruptions*)...

श्री उपसभापित: 8 घण्टे की बहस है। ...(व्यवधान)... यह सूचना विपक्ष और सरकार के बीच हुई बातचीत में तय हुआ, यह मैं आपको सूचित कर रहा हूं। ...(व्यवधान)... मंत्री जी, अब आप अपनी बात पूरी करें। ...(व्यवधान)...

श्री थावर चन्द गहलोत: उपसभापित महोदय, मैं यह बात बता चुका हूं कि इस देश के सामान्य वर्गों के आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं में और भारत सरकर व राज्य सरकार की सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की दृष्टि से इस बात को ध्यान में रखकर ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बात पूरी होने दीजिए। झा साहब, मैं आपको पूरा समय दूंगा। ...(व्यवधान)... Let the Minister complete. ...(Interruptions)... I will give time to you. ...(Interruptions)...

श्री थावर चन्द गहलोत: महोदय, ये संशोधन किए जा रहे हैं और ये संशोधन इसलिए आवश्यक थे कि सामान्य वर्ग के गरीब तबके के लोग हमेशा यह कहते रहते थे कि आखिर हमने सामान्य वर्ग में जन्म लिया है तो कोई गुनाह नहीं किया है। भिन्न-भिन्न कारणों से हमारी आर्थिक स्थिति अत्यधिक कमज़ोर है। भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो या अन्य किसी प्रकार की जो योजनाएं हैं, उनका लाभ हमें नहीं मिल पाता है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मैं आपको समय दूंगा यह पूरा होने के बाद। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग अपनी जगह पर बैठें। ...(व्यवधान)...

श्री थावर चन्द गहलोत: महोदय, इस कारण से हम पिछड़े हुए हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मिस्त्री जी, मैं आपको सुन चुका हूं। कालिता जी, आप प्लीज़ बैठें, मैं आपकी बात सुन चुका हूं। ...(व्यवधान)...

श्री थावर चन्द गहलोत: गरीब परिवार के ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः आनन्द जी, आपने जब भी समय मांगा, मैंने आपको समय दिया। अब आग्रह करूंगा कि कृपया बैठें। ...(व्यवधान)...

श्री थावर चन्द गहलोत: महोदय, हमको भी भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मंत्री जी को अपनी बात पूरी करने दें, इसके बाद भी मैं आपको समय दूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री थावर चन्द गहलोत: महोदय, यह निर्णय कोई जल्दबाज़ी में नहीं लिया है, अच्छी नीयत से लिया है, अच्छे इरादे से लिया है, अच्छी सोच को लेकर लिया है और उन लाखों-करोड़ों सामान्य वर्ग के परिवारों के आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए लिया है, तािक वे भी अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर सकें। ...(व्यवधान)... जहां तक जल्दबाज़ी की बात है, में निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर एक बार नहीं, बल्कि अनेक बार संसद के दोनों सदनों में प्राइवेट मेम्बर बिल के माध्यम से भी विचार-विमर्श हुआ है। ...(व्यवधान)... अनेक बार, अनेक माननीय सांसदों ने दोनों सदनों में प्रश्न पूछ कर भी इस प्रकार की समस्या के समाधान के प्रयास किए हैं। ...(व्यवधान)... इतना ही नहीं, जब मंडल कमीशन बना था तो मंडल कमीशन ने भी सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के हित में अपनी राय दी थी। ...(व्यवधान)... प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया था कि इन सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की जाए। ...(व्यवधान)... मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वर्ष 1991-1992 में तत्कालीन ...(व्यवधान)... प्रधान मंत्री श्री पी. वी. नरिसम्हा राव जी ने 10 परसेंट आरक्षण का प्रावधान किया था। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः आप लोग मंत्री जी की बात पूरी होने दें। ...(व्यवधान)... श्री टी. के. रंगाराजन साहब, प्रो. मनोज कुमार झा और रिपुन बोरा जी को मैं समय दूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री थावर चन्द गहलोत: किंतु उस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकृत कर दिया था और उसे अस्वीकृत करने का कारण यह था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। ...(व्यवधान)... हमने यह महसूस किया कि पहले इस प्रकार की सुविधा देने के लिए संविधान में प्रावधान करने की आवश्यकता है, इसलिए हमने यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है। इसके बाद एक सिन्हों कमीशन भी बना था और उस कमीशन ने भी इन वर्गों के हित के लिए बहुत सारी सलाह दी थी, ...(व्यवधान)... बहुत सारी रिकमंडेशंस की थीं और उसमें भी अपेक्षा की थी कि इनको भी भारत सरकार और राज्य सरकार की सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए। ...(व्यवधान)... मैं उसी के साथ कहना चाहता हूं कि जब से श्री नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने हैं, ...(व्यवधान)... उसके बाद हम लोगों ने उन रिपोर्टी पर कार्यवाही की और इन वर्गों के लिए कार्यालयीन आदेश जारी करके शैक्षणिक संस्थाओं में scholarship देने का प्रावधान किया। ...(व्यवधान)... अगर इन वर्गों के लोग एजुकेशन लोन लेते हैं, तो जो लोन के ब्याज की राशि है, वह हमारे विभाग की ओर से दी जाती है और ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने लाभान्वित करने की योजना चलाई है। ...(व्यवधान)... मैं यह बात भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो सूप्रीम कोर्ट की 50 परसेंट की सीलिंग है, वह एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण दिया जा रहा है, उनके लिए है। ...(व्यवधान)... उनके लिए यह आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि करने का प्रावधान नहीं है। सामान्य वर्ग से इसका कोई लेना-देना नहीं है। अपेक्षा यह थी कि जो सामान्य वर्ग है, ...(व्यवधान)... उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। हम यह 10 परसेंट सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण दे रहे हैं. उनके साथ न्याय करने वाला निर्णय हम लोग करने जा रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। ...(व्यवधान)... आज का यह क्षण ऐतिहासिक है। ...(व्यवधान)... देश और दुनिया में आज का दिन याद किया जाएगा और इस विधेयक के पारित होने के कारण हिंदुस्तान के लाखों-करोड़ों परिवार, जो सामान्य वर्ग के हैं, परंतु गरीब हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। ...(व्यवधान)... अमीरी और गरीबी की खाई में जो बड़ा अंतर है, उसमें भी कमी आएगी। देश में अमन-चैन का वातावरण लाने में हम सफल होंगे. देश में समता का वातावरण बनाने में हम सफल होंगे समरसता लाने के लिए हम अग्रसर होंगे। ...(व्यवधान)... इसके साथ ही, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए। ...(व्यवधान)... अगर कोई चर्चा होगी और यदि चर्चा का उत्तर देना होगा, तो बाकी बातों की जानकारी मैं उस समय दूंगा।

The questions were proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri T. K. Rangarajan, what is your point of order? ...(Interruptions)...

SHRI T. K. RANGARAJAN: Sir, the decision of the Union Cabinet to give 10 per cent reservation ...(Interruptions)... to economically weaker sections ...(Interruptions)... among the general category is an electoral politics. ...(Interruptions)... Five years are lost. ...(Interruptions)... Now, I would like to bring to the notice of the House...(Interruptions)... This is not new under the discussion ...(Interruptions)... [Shri T. K. Rangarajan]

Since Mandal Commission ...(Interruptions)... we are discussing about this. ...(Interruptions)... The Bill fixed ...(Interruptions)... less than ₹8 lakh per annum ...(Interruptions)... which will really benefit the truly deprived. ...(Interruptions)... I don't know which plan is going to be taken. ...(Interruptions)... Land already mentioned ...(Interruptions)... Properties are mentioned. ...(Interruptions)... Two days nationwide strike ...(Interruptions)... economically ...(Interruptions)... Wages ₹ 18,000 per month ...(Interruptions)... That is ₹ 2.16 lakh ...(Interruptions)... Even that you are not prepared to concede. ...(Interruptions)... That also you are not prepared to concede. ...(Interruptions)... Sir, Income Tax is ₹ 2.5 lakhs ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...(Interruptions)...

SHRI T. K. RANGARAJAN: Articles 15 and 16 of the Constitution ... (*Interruptions*)... The majority of State Legislatures ... (*Interruptions*)... have to pass this. ... (*Interruptions*)... For the past five years ... (*Interruptions*)... the existing quotas for the SCs/STs/OBCs are not being filled up. ... (*Interruptions*)... You cannot keep the private sector outside the purview. ... (*Interruptions*)... Private sector should also be included. ... (*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ... (Interruptions)...

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I have a point of order under Rule 238A when the hon. Parliamentary Affairs Minister got up and spoke about a fact which is incriminatory in nature, a sweeping generalisation that we were stalling this legislation. He accused the Congress. But, I tell you why we oppose this, Sir. यह मध्य रात्रि की डकैती है, ओबीसी की हिस्सेदारी पर चुप्पी है, Scheduled Tribes की आबादी के हिसाब से चुप्पी है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप प्वाइंट ऑफ ऑर्डर बताएं।

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर ही है। ...(व्यवधान)... बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ हो रही है। संविधान सभा बनाने वाले ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Under which Rule? Please quote the Rule. ...(Interruptions)...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: My point of order is under Rule 238A, whereby the Parliamentary Affairs Minister made sweeping statements which are incriminatory in nature for the entire Opposition. This is not how a Parliamentary democracy functions. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Ripun Bora. ...(Interruptions)... आप प्लीज़ बैठ जाएं। सुबह से जो भी प्वाइंट ऑफ ऑर्डर आए, हमने सबके प्वाइंट ऑफ ऑर्डर सुने। ...(व्यवधान)... प्लीज़, कानीमोझी जी already बोल चुकी हैं और उनको फिर मौका ...(व्यवधान)... Please, Mr. Ripun Bora.

SHRI RIPUN BORA: Sir, my point of order is that today morning, when we were raising objections, the Rajya Sabha TV was acting in a partisan manner. ...(Interruptions)... The Rajya Sabha TV blacked out the entire Opposition. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is not a point of order, please. ...(Interruptions)...

SHRI RIPUN BORA: All our opposition side was blacked out by Rajya Sabha TV. ...(Interruptions)... This partisan attitude of Rajya Sabha TV is not correct. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Under which Rule are you quoting?

SHRI RIPUN BORA: It should be impartial. ...(Interruptions)... It is the murder of democracy. ...(Interruptions)... It should be impartial, Sir. ...(Interruptions)...

MR. DPEUTY CHAIRMAN: Now, I would like to call Shri A. Navaneethakrishnan. ...(Interruptions)...

SHRI RIPUN BORA: You have murdered the democracy. ...(Interruptions)... You have stopped the voice of the Opposition. ...(Interruptions)... It should be impartial. ...(Interruptions)...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Sir, ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri A. Navaneethakrishnan, just wait. Anandji, ...(Interruptions)...

SHRI ANAND SHARMA: She is asking for Division. Protect her right. The Motion is before the House. ...(Interruptions)... You cannot start the discussion, unless...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Kanimozhiji has already moved it. ...(Interruptions)...

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, you are not even allowing me to speak. ...(Interruptions)... I have moved the Motion. It is a Constitution Amendment Bill. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have already moved it. ...(Interruptions)... Mr. Navaneethakrishnan, please wait. ...(Interruptions)...

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, can I speak for a minute? ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have already ...(Interruptions)...

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, I have moved the Motion. You dispose that of. ...(Interruptions)... Sir, I am asking for Division. I have moved the Motion. ...(Interruptions)... You have allowed me to move the Motion. I am asking for Division. ...(Interruptions)... You dispose that of.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Kanimozhiji, you are well aware that Division will take place after the discussion. ...(Interruptions)...

SHRIMATI KANIMOZHI: We cannot have a discussion without disposing of that Motion. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Prabhat Jha. ...(Interruptions)...

SHRIMATI KANIMOZHI: We cannot have a discussion without disposing of that Motion. ...(Interruptions)...

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश): आदरणीय उपसभापति महोदय ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: आप ऐसा नहीं कर सकते। ...(व्यवधान)... पहले इसको dispose करिए। ...(व्यवधान)... She is asking for Division, it has to be disposed of under the rules. ...(Interruptions)...

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, I am demanding Division now. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already told you.

SHRIMATI KANIMOZHI: We cannot have a discussion without ...(Interruptions)...

श्री प्रभात झा: उपसभापति महोदय, संविधान (एक सौ चौबीसवां संशोधन) विधेयक, २०१९ ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: आप नियमों पर सदन को चलाइए। ...(व्यवधान)... आप नियमों को ताक पर रखकर सदन को नहीं चला सकते। ...(व्यवधान)...

श्री प्रभात झा: भारत के इतिहास में आज के दिन ...(व्यवधान)... मैं सबसे पहले लोक सभा में उन सभी लोगों को, सभी दलों को बधाई देता हूं, जिन्होंने एक स्वर से इस विधेयक को पारित किया। श्री आनन्द शर्मा: आप ऐसा नहीं कर सकते। ...(व्यवधान)... She is asking for Division. Protect her right. The motion is before the House. ...(Interruptions)...

श्री प्रभात झा: और उस भावना के साथ मैं राज्य सभा में भी, उन करोड़ों लोगों की आवाज़, जो वर्षों से इस बात के इंतज़ार में थे कि कब हमारा सपना पूरा होगा ...(व्यवधान)... आज राज्य में भी एकमत से सभी एक विधेयक को पारित करेंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं यहां खड़ा हुआ हूं। आदरणीय उपसभापति महोदय, जब हम पढ़ा करते थे, जब हम कॉलेज और स्कूल में थे...

SHRI ANAND SHARMA: You can't run the House like this. ...(Interruptions)...

SHRI PRASANNA ACHARYA (Odisha): You have to go for Division first. ...(Interruptions)...

श्री प्रभात झा: हम यह सुना करते थे और लोग कहते थे और दुखी होकर कहते थे, हमारे विद्यार्थी दोस्त कहते थे कि हमारा भला आखिर कब होगा? ...(व्यवधान)... क्या हमारे नाम पर भी कभी कोई आरक्षण होगा ...(व्यवधान)... और यह सुनते-सुनते बरसों हो गए, लेकिन मैं नरेन्द्र मोदी जी, भारत के उस ऐतिहासिक पुरुष को बहुत-बहुत बधाई देता हूं, जो करोड़ों लोगों की भावनाओं को देखते हुए, इस विधेयक को पारित करने के लिए सदन में लाए हैं। ...(व्यवधान)... जो लोग देश की भावना नहीं समझते हैं, वे इसी तरह वेल में आते हैं, वे विरोध करते हैं। ...(व्यवधान)... अगर Congress में दम है, तो कहे कि हम इस विधेयक का विरोध करते हैं। क्या वे ऐसा कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। लोक सभा में समर्थन करते हैं और यहां पर आकर विरोध करने की बात करते हैं। उपसभापित महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस आरक्षण से भारत में एक नया इतिहास रचा गया है। भारत में यह बात कही गई है। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned till 2.00 p.m.

The House then adjourned at thirty-six minutes past twelve of the clock.

The House reassembled at two of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

STATEMENT BY MINISTER

The Law and Order situation in the North-Eastern States of the country over passing of The Citizenship (Amendment) Bill, 2019

श्री उपसभापति: जैसा कि संसदीय राज्य मंत्री ने पहले बताया था कि कुछ माननीय सदस्यों के नॉर्थ-ईस्ट के ऑब्जर्वेशन या स्थिति की चिंता के संबंध में माननीय गृह मंत्री जी अपना बयान देंगे, माननीय गृह मंत्री जी।